

7
Request-120

- 2 -

नहीं किए जा सके हैं। उपरिवर्णित अधिकारियों के निकट भविष्य में, प्रशिक्षणोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने पर, यथाशीघ्र अपेक्षित घोषणा-पत्र प्राप्त करके, माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या, माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

॥ चन्द्र भाल श्रीवास्तव ॥
जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

21/7/2006

घोषणा-पत्र

Request-120

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 31/05 दिनांक-
29-10-05, शासनादेश संख्या-3670/60-3-04। 16ए0क्यू0।/2000
दिनांक 30-12-2004, 1107/60-3-05-3। 16ए0क्यू0।/2000
दिनांक 02-05-2005, 1284/60-3-2005-3। 65। दिनांक-
26-5-2005 तथा उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिबंध प्रथम संशोधन।
नियमावली 2004 के नियम-5।5।।क। में निहित निर्देशों के
अनुपालन में मैं अभय प्रकाश नारायण आत्मज श्री बी०पी०एन०
श्रीवास्तव, अपर सिविल जज जू० डि०।, न्यायालय संख्या-8,
गोण्डा एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरा विवाह अभी नहीं
हुआ है और यह कि मैं अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लूंगा।

Anakosh

। अभय प्रकाश नारायण।

अपर सिविल जज। जू० डि०।,
न्यायालय सं०-8, गोण्डा।

दिनांक-21-07-2006